महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

No. Pension /General/S.S./ 2532

Date :- 5.7.18 ~~/06/2018~~

To,

The Principal Accountant General,

(A&E)---Talangana, Hyderabad - 500 004

Sub.:- Regarding grant of Dearness Relief @ 142% w.e.f. 01-01-2018 on Pension/Family Pension to the Madhya Pradesh State Government Pensioners retired as a Judicial Officer.

Sir,

I am enclosing here with copy of The Government of Madhya Pradesh Law and legislative – Department Bhopal Order No. 3(ए)19/2003/21-ब (एक) 2624 Bhopal Dated May 2018 Along with Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Order No. 1/3/2008-E.II(B) Dated 28th March, 2018 regarding the above subject and to state that instruction contained there in may be followed strictly and the entire pension disbursing authorities in the state may be directed suitably to pay relief to the pensioners of Government of Madhya Pradesh of without delay

Enclosed:- As above.

PM-OG TS

Your faithfully

Accounts Officer / Pension

Date :- 5.7.18

No. Pension/General/S.S./

Hemant

Endt. Copy for information to : -

(1) The Chief Secretary – Government of Madhya Pradesh Law and Legislative Department - M.P. Bhopal for information with reference to your letter No. 3(ए)19/2003/21-ब (एक) 2624 Bhopal Dated May 2018,

Sd/-

Accounts Officer / Pension

10 JUL 2018

Telangana, Hyderabad-500 004.

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad

519156

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
FAX : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194

English Letter D.A. Order

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21-ब(एक)2624 भोपाल, दिनांक .05.2018

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

001874

विषयः- **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।**

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-II(बी), दिनांक 28.03.2018 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2018 से 139 से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत सदस्यों को दिनांक 01.01.2018 से पेंशन पर राहत 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-II(बी), दिनांक 28.03.2018 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2018 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

O/o A.G. (A&E)-II
Madhya Pradesh, Gwalior
4 JUN 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA-30
7-6-18

D.A. Final Order- 2018

पृ. फा.क्र.3(ए) 19/2003/21-ब(एक)/2624 भोपाल, दिनांक ३०.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल,
21. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
22. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
23. समस्त जिला एव सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
24. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
25. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. वरिष्ठ लेखाधिकारी/टी.एम. कार्यालय प्रधान लेखाकार (लेखा एव हक.) प्रथम, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर,
30. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
31. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
32. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
33. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
34. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल,
35. महालेखाकार, अन्य राज्य...............

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 1/3/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

New Delhi, dated the 28th March, 2018.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2018 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 26th September, 2017 regarding revision of the rate of Dearness Allowance w.e.f 01.07.2017 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th **Central Pay Commission**.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing **139%** to **142% w.e.f. 01.01.2018.**

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).